अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2017 अनवानी श्री दर्शनलाल पुत्र श्री स्वरूप सिंह निवासी गावं साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

18/2017

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

10-04-2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दर्शनलाल की तरफ से श्री राधेश्याम गोयल वकील उपस्थित है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से श्री बृजलाल शर्मा ऑफिस कानूनगो उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया।

अपीलार्थी श्री दर्शन लाल के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.01.17 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से गांव साधूवाली के वार्ड सं0 7 में जोहड़ भूमि से संबंधित 5 की बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। तहसीलदार द्वारा जान बूझकर सूचना उपलब्ध न करवाकर बल्कि आवेदन पत्र विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवा दिया गया है जबकि चाही गई सूचना तहसील राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध है जो उन्हे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा गांव साधूवाली की आबादी भूमि वार्ड न0 7 के संबंध में जोहड भूमि से संबंधित सूचनांए चाही गई है जो विकास अधिकारी श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया था। यदि विकास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उन्हे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावल का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दर्शनलाल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2017 के द्वारा निम्नांकित सूचना तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से चाही थीः–

1. गांव साधूवाली के वार्ड सं0 7 में जोहड़ होने की स्थान की सूचना जिसमें कुल भूमी का नाप व आस पड़ौस के व्यक्तियों व मकान मे रहने वाले निवासियो के स्थायी पते सहित सूचना जिससे जोहड की वास्तविक जगह प्रमाणित हो सके।
2. उक्त जोहड़ जिस मुरब्बा मे स्थित है उसका नम्बर व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. उक्त जोहड़ जिस किला में है उस किला का नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. जोहड़ की कुल भूमि की लम्बाई व चौड़ाई की सूचना व वर्तमान में उक्त जोहड़ के स्वरूप व भौतिक स्थिति की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उक्त जोहड़ को जिस उपभोग व उपयोग हेतु वर्तमान मे लिया जा रहा है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2188 दिनांक 21.03.2017 प्रस्तुत किया है कि पटवारी हल्का 4 जैड साधूवाली की रिपोर्ट अनुसार वार्ड न0 7 का जोहड़ आबादी भूमि में स्थित है, मुताबिक जमाबन्दी ग्राम 1 डी छोटी खाता नम्बर 1 में खसरा नम्बर 92 रकबा 32.501 है0 गै0 मुमकिन आबादी मय खाला, खसरा नम्बर 93 रकबा 16.187 हे0 गै0मु0 मय खाला, खसरा नम्बर 94 रकबा 1.518 हे0 गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी वार्ड न0 7 का जोहड़ किसी अलग मुरब्बा/किला में नही है। यह जोहड़ आबादी भूमि में होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को उनके कार्यालय के पत्र सं0 399 दिनांक 31.01.17 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतू भिजवाया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार गांव साधूवाली की आबादी भूमि से संबंधित इन्द्राज जमाबन्दी में है। अतः अपीलार्थी की अपील इस हद तक स्वीकार की जानी उचित है कि गांव साधूवाली की जोहड़ से संबंधित जो सूचना जमाबन्दी में उपलब्ध है वह उनके द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। शेष सूचनांओ के लिए अपीलार्थी को विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर के कार्यालय में चाराजोही करनी चाहिए। यदि उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में गांव साधूवाली की जोहड़ से संबंधित जो सूचना जमाबंदी में उपलब्ध है वह अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर